कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 07.01.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रंजीत सोनकर पुत्र अनन्तराम सोनकर नि0 सिसई जंगल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 05 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पवन कुमार चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान, 02. गब्बर पुत्र गोपी निषाद नि0 जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 34 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 06 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मनोज सिंह पुत्र अमर सिंह नि0 सदियापुर मौजा बालपुरजाट थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 350 ग्राम नौसादर, 325 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0- 06 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही -

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त रामस्वरुप उर्फ भुजे पुत्र लच्छू नि0 बेलहरी बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 08 / 21, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही -

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना को0नगर पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त अजय उर्फ कालिया पुत्र रामचन्दर नि0 आसरा आवास कालोनी थाना को0नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 15 / 21, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 07.01.2021

डीजल चोरी करने की योजना बनाते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद इनोवा कार बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. तेज बहादुर मिश्रा उर्फ लाल मिश्रा पुत्र दीपनरायन मिश्रा नि0 रामनगरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग -

01. मु0अ0सं0- 16 / 2021, धारा 401.420.467.468.471 भादवि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद इनोवा कार यू0पी0 32 सी0जेड 5493।
02. 04 अदद प्लास्टिक के पाइप।
03. 15 अदद खाली गैलन 40-40 ली0 के।
04. 01 अदद टार्च।
05. चोरी करने के उपकरण।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.01.2021 को थाना को0नगर के उ0नि0 ऋषिकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह फोर्स के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन में मामूर थे कि एक सफेद रंग की संदिग्ध इनोवा कार दिखायी देने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया तो इनोवा चालक तेजगति से भागने लगा जिसे पुलिस वालों द्वारा पीछा कर डीजल डीपो के पीछे महादेवा मार्ग के पास पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तेज बहादुर मिश्रा उर्फ लाल मिश्रा पुत्र दीपनरायन मिश्रा नि0 रामनगरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा बताया। इनोवा कार से 15 अदद खाली गैलेन 40-40 ली0 के, 04 अदद प्लास्टिक के पाइप, 01 अदद टार्च व चोरी करने के उपकरण बरामद किया गया जबकि उसके दो अन्य साथी 01. गुड्डू पाठक, 02. सोनू पाठक पुत्रगण गजराज पाठक नि0गण पेड़िया अस्पताल रायपुर थाना को0देहात जनपद बहराइच मौका पाकर फरार हो गये है गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम सभी लोग योजना बनाकर गाड़ी की नंबर प्लेट बदलकर रात्रि में होटल व ढाबों के पास खड़े ट्रकों से डीजल की चोरी करते है तथा उसे बेच कर जो पैसै कमाते है वह आपस में बांट लेते है। अभियुक्त को थाना को0नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 ऋषिकेश मणि त्रिपाठी।
02. उ0नि0 अश्वनी कुमार पाण्डेय।
03. हे0का0 रामायन यादव।
04. का0 अजय प्रताप सिंह।

05. का0 संदीप कुशवाहा।
06. का0 गयापति त्रिपाठी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 07.01.2021

थाना नवाबगंज द्वारा डीजल चोरी करने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद चार पहिया वाहन बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कमलेश निषाद पुत्र त्रिवेणी निषाद नि0 कनईगंज बरहटा थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।
2. अमित यादव पुत्र मोती लाल यादव नि0 सीताकुण्ड जयसिंह पुर थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।
3. रमेश पुत्र नान्हू निषाद नि0 कनईगंज थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।

पंजीकृत अभियोग -

01. मु0अ0सं0 08 / 2021, धारा 379.411 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 10 / 2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. दो अदद चारपहिया वाहन **UP** 42 **BT** 6333 व **UP** 42 **BT** 8471 महिन्द्रा सुप्रो।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।
03. 07 अदद तेल की जरिकैन।
04. तेल निकालने के उपकरण।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06/07.01.2021 की रात्रि को थाना नवाबगंज के उ0नि0 रामप्रकाश यादव मय पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लोग परसुरामपुर मोड़ के पास तेल चोरी की योजना बना रहे है मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर घेरा बंदी कर दो अदद चार पहिया वाहनों के साथ उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया गया जामातलाशी से अभियुक्त कमलेश निषाद के पास से 01 अदद नाजायज चाकू व दोनो वाहनों मे रखे 07 अदद जरिकेन व तेल निकालने के उपकरण बरामद किये गये। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम लोगो का सरगना कमलेश निषाद है जिसके कहने पर हम लोग अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर आदि जनपदों में होटल / ढाबों व सड़क के किनारे खड़े वाहनों से डीजल / पेट्रोल की चोरी करते है तथा उसे बेंच कर पैसा कमाते है अभियुक्तगणों को थाना नवाबगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्री रामप्रकास यादव
02. उ0नि0 श्री अशोक कुमार सरोज

03. हे0का0 चन्द्रिका यादव
04. का0 सुनील कुमार यादव
05. का0 रंजीत कुमार पासवान
06. का0 अनिल यादव
07. का0 आशीष कुमार थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।